न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मन मोहन मीना , आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/2018

उनवान

1 हनुमान सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति राजपूत निवासी सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
प्रार्थी

बनाम

1 श्रीमती कविता चौधरी पुत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जाति जाट निवासी प्लॉट नं0 5 स्कीम नं0 8 गांधीनगर अलवर ।

2 राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर । अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

उपस्थित श्री सुनील शुक्ला अधिवक्ता – प्रार्थी
श्री जितेन्द्र पलसानियां अधिवक्ता – अप्रार्थी

आदेश दिनांक 16/12/23

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) (1)राजस्थान अभिधृति संशोधन अधिनियम 2010 आर टी एक्ट प में इस प्रकार है कि, प्रार्थी ने हाल खसरा नम्बर 160 रकबा 1.5500 हैक्ट. गैर मुमकिन बारानी वाकै ग्राम णा पटवार हल्का छारसा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. में स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है के बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान अभिधृति संशोधन अधिनियम 2010 आर टी एक्ट के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ड सं. 1 मे वर्णित भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि से लगती हुई उत्तर दक्षिण की तरफ स्थित हाल खसरा नम्बर 116/0.8900 है0 की मालकिन अप्रार्थी सं. 1 के नाम खातेदारी है । ी अपने खातेदारी खसरा नम्बर 116 के सहारे सहारे आता जाता है तथा प्रार्थी उत्तर से दक्षिण की तरफ जो सुराणा का रास्ता बना हुआ है जिसमें नक्शे में छायाप्रति नीली लाइन से दर्शाया गया है प्रार्थी इस रास्ते से ा जाना चाहता है जो प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आने जाने लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जो कि अपनी भूमि में आ जा सके प्रार्थी खसरा र 160 के पश्चिम सीव के सहारे सहारे खसरा नम्बर 116/0.08900 के सहारे 3 मीटर चौडा व 80 मीटर बाई का लम्बा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के लिये अत्यंत आवश्यक है, जिसे खसरा नम्बर 116 के पास ही 2 एयर मुमकिन है जो सटीक ही लगती है इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी के द्वारा थेत रास्ते से जो हाल खसरा नम्बर ट्रेस में सीमांकित व प्रदर्शित किया गया है उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में ते के रूप में अभिलिखित किया जाना तथा अप्रार्थी सं. 1 की उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थी उचित न्याय संगत ाकर संदाय करने हेतु तैयार है। प्रार्थी ने गैर प्रार्थी सं. 1 से उक्त कथित रास्ते की भूमि के राजस्व रिकार्ड में ते के रूप में दर्ज कराने तथा स्वयं ही खातेदारी समाप्त करने के लिये दिनांक 7.2.018 को कहा तो इंकार हो व भूमि को अन्य दीगर को अंतर करने के लिये रिकार्ड स्थिति परिवर्तन करने की स्पष्ट धमकी दी । इसलिए र्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ । अन्त में निवेदन किया कि ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा से तर दक्षिण की तरफ रास्ता आता जाता है उसके पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 160 जो छाया प्रति नक्शा ट्रेस दर्शाया गया है प्रस्तावित नीले रंग से 3 मीटर चौडा व 80 मीटर लम्बा रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप अभिलिखित किया जाकर उक्त रास्ते की भूमि को अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्तमान में अंकित है उसकी जगह प्रार्थी नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करें व जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में नक्शा ट्रेस में करवाए पश्चात अप्रार्थी सं. 1 को पाबन्द भी किया जावे कि वे उक्त रास्ते पर आवागमन व उपयोग उपभोग में कोई बाधा पन्न नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जिमन नं. 1, 2 प्रार्थी स्वयं साबित करे, जिमन नं. सही है, जिमन नं. 4 जिस प्रकार जाहिर किया गया है गलत है अस्वीकार है। खसरा नं. 116 अप्रार्थी की भूमि है र्थी ने खसरा नम्बर 116 को स्वयं का होना एवं उसके सहारे सहारे आना गलत अंकित किया है प्रार्थी ुमानसिंह, महेन्द्रसिंह, भंवर कंवर, गिरधारी सिंह, कु. सोमान कंवर ने पूर्व में इसी भूमि में रास्ता बाबत अप्रार्थी के रूद्व न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जयपुर में प्रार्थना पत्र सं. 10/2015 अन्तर्गत धारा 251 (क) (1) आर एक्ट 2010 आर टी एक्ट दायर किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.10.2017 में इस र्थना को अस्वीकार किया गया है। जिमन नं. 5 प्रार्थना पत्र जिस तरह से जाहिर किया गया है असत्य है स्वीकार है प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिये संलग्न नक्शा अनुसार अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध जिससे प्रार्थी अपनी भूमि में आ सके। अप्रार्थी की खसरा नम्बर 116 के साथ ही लगती हुई खसरा नॅबर 151, 2, 148, 149 एवं 150 भूमि भी स्थित है प्रार्थी ने जानबुझकर अप्रार्थी को तंग परेशान करने एवं अप्रार्थी की भूमि दो भागो में विभाजन कर खराब करने के लिये प्रार्थना पत्र गलत रूप में पेश किया है जो खारिज किये जाने ग्य है प्रार्थी खसरा नं. 160 के दक्षिण दिशा में लगती सिवायचक भुमि खसरा नम्बर 161/0.35 स्थित है जो नोहरपुर खोरालाडखानी मुख्य सडक (80 फीट चौडी डामर रोड) पर स्थित है प्रार्थी इसी भूमि के दक्षिण पूर्वी नारे से (13 मीटर लम्बा व 10 मीटर चौडा) आम रास्ता को उपयोग में लेता आ रहा है जिसे रिकार्ड में लेकर र्थी को सरकारी भूमि सिवायचक में से रास्ता अंकित किया जा सकता है। प्रार्थी को खसरा नम्बर 160 से लगती

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

ही खसरा नम्बर 159, 153, एवं 147 भूमि स्थित है समान तथ्यों पर ही प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र सं. 10 /2015 पूर्व
ायर किया था जिसमें दिनांक 18.10.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है प्रार्थी ने जानबूझकर
परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में अप्रार्थी ने जवाब
त कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पास खसरा नम्बर 160 में आने जाने के लिये सिवायचक भूमि के खसरा
र 161 में से रास्ता उपलब्ध है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में दायर प्रार्थना पत्र सं. 10/2015 के जवाब में अप्रार्थी
इसे वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने पर सहमति दी गयी है तत्पश्चात न्यायालय निर्णय दिनांक 18.10.2017 में
वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया गया है उसके उपरान्त भी प्रार्थी जानबूझकर न्यायालय का समय खराब करना
ता है तथा अप्रार्थी महिला होने के कारण तंग परेशान कर रहा है । प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 160 के
ण की ओर सिवायचक भूमि 161/0.35 स्थित है जो कि मनोहरपुर –खोरालाडखानी की मुख्य सडक (80 फीट
ी डामर रोड) पर स्थित है प्रार्थी इस सिवायचक भूमि के दक्षिण पूर्वी किनारे से (13 मीटर लम्बा एवं 10 मीटर
ा) रास्ते का उपयोग कर रहा है प्रार्थी से इस भूमि की नियमानुसार राशी राजकोष में जमा कर इसमें से आम
ता का अंकन किया जा सकता है। प्रार्थी की खसरा नम्बर 160 रकबा 1.53 हैक्ट. भूमि अप्रार्थी सं. 1 के खसरा
र 116 के पूर्व दिशा में लगती हुई है जिसे प्रार्थी अप्रार्थी को विक्रय कर दे जो इसके एवज में प्रार्थी को अप्रार्थी
1 द्वारा दक्षिण दिशा में स्थित खसरा नम्बरान 148, 149, 150, 151, 152 में से उतनी ही भूमि विक्रय कर देगा
ससे प्रार्थी की भूमि गांव के नजदीक गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 125 से मिल सकेगी तथा उसे खसरा
रान 147, 153, 159, 160 पर जाने का सीधा रास्ता गांव के नजदीक मिल जायेगा। प्रार्थी हनुमानसिंह ने अन्य
कार महेन्द्र सिंह, भंवर कंवर, गिरधारी सिंह एवं सीमान कंवर के साथ अप्रार्थी के विरूद्व इसी न्यायालय में प्रार्थना
सं. 10/2015 अन्तर्गत धारा 251 (क) (1) आर टी एक्ट 2010 आर टी एक्ट दायर किया था जिसका निर्णय
यालय द्वारा दिनांक 18.10.2017 को किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है समान तथ्यों पर प्रार्थी द्वारा पुनः यह
ना पत्र दायर किया है प्रार्थी के पास रास्ता उपलब्ध है उसके उपरान्त भी तथ्य छुपाकर यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी
भूमि का विभाजन कराकर अप्रार्थी को तंग परेशान करने के लिये पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस पेश करते हुये
नी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हाल खसरा नम्बर 160 रकबा 1.5500 हैक्ट.
मुमकिन बारानी वाकै ग्राम सुराणा पटवार हल्का छारसा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. में स्थित है उक्त
राजीयात का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है एवं उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है । प्रार्थी
उक्त भूमि से लगती हुई उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ स्थित हाल खसरा नम्बर 116/0.8900 बारानी
मुमकिन 0.0200 हैक्टर की स्वामी गैर प्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व में खातेदार है । प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि
सरा नम्बर 116 के सहारे आता जाता है, तथा प्रार्थी उत्तर से दक्षिण की तरफ जो ग्राम सुराणा का रास्ता बना
आ है, जिसमें नक्शे में छायाप्रति नीली लाइन से दर्शाया गया है प्रार्थी इस रास्ते से आना जाना चाहता है । उक्त
स्तावित रास्ता प्रार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है । प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये
क्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है । प्रार्थी खसरा नम्बर 160 के सहारे खसरा नम्बर 160 के
श्चिम सींव के सहारे खसरा नम्बर 116/0.8900 के सहारे 3 फीट चौडा व 80 मीटर लम्बाई का रास्ता प्रार्थी के
मये अत्यंत आवश्यक है । अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष जो निर्णय दिनांक 18.10. 2017
हेन्दसिंह वगै. बनाम कविता चौधरी वगै. पेश किया गया है उक्त निर्णय में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के
ताबिक प्रार्थी हनुमान सिंह को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये कोई रास्ता नही दिया गया उक्त
ादेश के मुताबिक रास्ता खसरा नम्बर 147 में दिया गया है न कि खसरा नम्बर 160 में दिया गया है। प्रार्थी को
र्तमान समय में अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के काफी परेशानीय का सामना करना पडता है इसलिए प्रार्थी
रा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में न्यायालय से जो रास्ता की चाहने की प्रार्थनीय है, उक्त रास्ते के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत
राणा तह. शाहपुरा द्वारा पूर्व में तीन प्रस्ताव प्रस्ताव सं. 2, 4, 7 लिये अतिकमण हटाने के लिये गये है ।
यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में जो नक्शा तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पेश
किया गया है, उक्त नक्शे के अवलोकन से न्यायालय श्रीमान के न्याय निर्णय में काफी आसानी रहती है, क्योंकि
उक्त नक्शे में स्पष्ट रूप से अंकित किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 160 से लगता हुआ खसरा नम्बर 116 है
खसरा नम्बर 116 के उत्तरी हिस्से में हाल आराजी खसरा नम्बर 151 के मध्य एक रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई
रहा है । खसरा नम्बर 151 के मध्य तक जो रास्ता नक्शे में दर्शाया गया है, उक्त रास्ते में रोडी कंकीट की
ली हुई है, लेकिन आगे उक्त रास्ते के अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अतिकमण कर बन्द कर दिया गया है जिसे हटाने के
सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है । प्रार्थी की भूमि हाल आराजी खसरा नम्बर 160 के
आगे जो कि सिवायचक भूमि हैं, उक्त भूमि सामुदायिक भवन एवं पटवारघर सुराणा प्रस्तावित हो चुका है जो कि
खोरा रोड पर स्थित है इस प्रकार प्रार्थी पैरा प्रार्थना में जो रास्ता चाहने हेतु प्रार्थना पत्र की वह केवल स्वयं के
उपरोक्त के न होकर अपितु आम जनता सुराणा के लिय की है,क्योकि मुख्य सडक जो कि खोरालाडखानी जाती
है,पर आने के लिये प्रार्थी एवं आम जनता सुराणा को 3 किलोमीटर लम्बा चक्कर लगाना पडता है । प्रार्थी द्वारा
न्यायालय श्रीमान से उक्त रास्ता चाहने हेतु जो प्रार्थना पत्र पेश किया वह स्वयं को लाभ पहूँचाने के उददेश्य से न
होकर अपितु ग्राम जनता सुराणा को लाभ पहूँचाने के उददेश्य से पेश किया है । खसरा नम्बर 116 में जो कच्चा
रास्ता बना हुआ है, उक्त रास्ता काफी वर्षो पुराना है, उक्त रास्ते को उपयोग उपभोग ग्राम सुराणा की 4 ढाणीयों में
रहने वाले काश्तकारों कई वर्षो से करते आ रहे है । न्यायालय श्रीमान द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते का
अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जाता है तो प्रार्थी व अन्य 4 5 ढाणीयों के काश्तकारों को मुख्य सडक पर
आने के लिये 3 किलोमीटर का चक्कर नही लगाना पडेगा जिससे काश्तकारों को सुविधाजन रहेगा।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कहा कि खसरा नं. 116 अप्रार्थी भूमि है प्रार्थी ने खसरा नम्बर 116 को स्वयं का होना एवं उसके सहारे सहारे आना गलत अंकित किया है, ी हनुमानसिंह, महेन्द्रसिंह भंवर कंवर गिरधारी सिंह कु. सोमान कंवर ने पूर्व में इसी भूमि में रास्ता बाबत अप्रार्थी विरूद्व न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जयपुर में प्रार्थना पत्र सं. 10/2015 अन्तर्गत धारा 251 (क) (1) : टी एक्ट 2010 आर टी एक्ट दायर किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.10.2017 में इस ना को अस्वीकार किया गया है । प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिये संलग्न नक्शा अनुसार अन्य ल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिससे प्रार्थी अपनी भूमि में आ सके अप्रार्थी की खसरा नम्बर 116 के साथ ही लगती खसरा नेंबर 151, 152, 148, 149 एवं 150 भूमि भी स्थित है प्रार्थी ने जानबुझकर अप्रार्थी को तंग परेशान करने अप्रार्थी की भूमि को दो भागो में विभाजन कर खराब करने के लिये प्रार्थना पत्र गलत रूप में पेश किया है जो रिज किये जाने योग्य है । प्रार्थी खसरा नं. 160 के दक्षिण दिशा में लगती सिवायचक भुमि खसरा नम्बर 1/0.35 स्थित है, जो मनोहरपुर खोरालाडखानी मुख्य सडक (80 फीट चौडी डामर रोड) पर स्थित है ,प्रार्थी ो भूमि के दक्षिण पूर्वी किनारे से (13 मीटर लम्बा व 10 मीटर चौडा) आम रास्ता को उपयोग में लेता आ रहा जैसे रिकार्ड में लेकर प्रार्थी को सरकारी भूमि सिवायचक में से रास्ता अंकित किया जा सकता है। प्रार्थी को सरा नम्बर 160 से लगती हुई ही खसरा नम्बर 159, 153, एवं 147 भूमि स्थित है समान तथ्यों पर ही प्रार्थी ने र्थना पत्र सं. 10 /2015 पूर्व में दायर किया था जिसमें दिनांक 18.10.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय या गया है । प्रार्थी ने जानबूझकर तंग परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने य है । प्रार्थी के पास खसरा नम्बर 160 में आने जाने के लिये सिवायचक भूमि के खसरा नम्बर 161 में से स्ता उपलब्ध है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में दायर प्रार्थना पत्र सं. 10/2015 के जवाब में अप्रार्थी द्वारा इसे वैकल्पिक ी उपलब्ध कराने पर सहमति दी गयी है, तत्पश्चात न्यायालय निर्णय दिनांक 18.10.2017 में उसे वैकल्पिक मार्ग लब्ध कराया गया है उसके उपरान्त भी प्रार्थी जानबूझकर न्यायालय का समय खराब करना चाहता है तथा ार्थी महिला होने के कारण तंग परेशान कर रहा है । प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 160 के दक्षिण की ओर वायचक भूमि 161/0.35 स्थित है जो कि मनोहरपुर –खोरालाडखानी की मुख्य सडक (80 फीट चौडी डामर ड) पर स्थित है । प्रार्थी इस सिवायचक भूमि के दक्षिण पूर्वी किनारे से (13 मीटर लम्बा एवं 10 मीटर चौडा) स्ते का उपयोग कर रहा है । प्रार्थी से इस भूमि की नियमानुसार राशी राजकोष में जमा कर इसमें से आम रास्ता अंकन किया जा सकता है। प्रार्थी की खसरा नम्बर 160 रकबा 1.53 हैक्ट. भूमि अप्रार्थी सं. 1 के खसरा नम्बर 6 के पूर्व दिशा में लगती हुई है जिसे प्रार्थी अप्रार्थी को विक्रय कर दे जो इसके एवज में प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 रा दक्षिण दिशा में स्थित खसरा नम्बरान 148, 149, 150, 151, 152 में से उतनी ही भूमि विक्रय कर देगा । ससे प्रार्थी की भूमि गांव के नजदीक गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 125 से मिल सकेगी तथा उसे खसरा बरान 147, 153, 159, 160 पर जाने का सीधा रास्ता गांव के नजदीक मिल जायेगा। प्रार्थी हनुमानसिंह ने अन्य कार महेन्द्र सिंह, भंवर कंवर, गिरधारी सिंह एवं सीमान कंवर के साथ अप्रार्थी के विरूद्व इसी न्यायालय में प्रार्थना ्र सं. 10/2015 अन्तर्गत धारा 251 (क) (1) आर टी एक्ट 2010 आर टी एक्ट दायर किया था जिसका निर्णय ायालय द्वारा दिनांक 18.10.2017 को किया गया है । समान तथ्यों पर प्रार्थी द्वारा पुनः यह प्रार्थना पत्र दायर या है प्रार्थी के पास रास्ता उपलब्ध है उसके उपरान्त भी तथ्य छुपाकर यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी की भूमि का भाजन कराकर अप्रार्थी को तंग परेशान करने के लिये पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थी के द्वारा जो अपनी लिखित बहस में जो कथन किये है कि प्रार्थी नुमान सिंह को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये कोई रास्ता नही दिया गया । उक्त आदेश के ाबिक रास्ता खसरा नम्बर 147 में दिया न की खसरा नम्बर 160 में प्रार्थी को वर्तमान समय में अपनी खातेदारी मि में आने जाने के काफी परेशानीय का सामना करना पडता है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में न्यायालय से जो स्ता की चाहने की प्रार्थनीय है उक्त रास्ते के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सुराणा तह. शाहपुरा द्वारा पूर्व में तीन स्ताव प्रस्ताव सं. 2, 4, 7 लिये अतिक्रमण हटाने के लिये गये है तथा न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार ाहपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में जो नक्शा तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पेश किया गया है उक्त नक्शे के अवलोकन से ायालय श्रीमान के न्याय निर्णय में काफी आसानी रहती है क्योकि उक्त नक्शे में स्पष्ट रूप से अंकित किया कि ाल आराजी खसरा नम्बर 160 से लगता हुआ खसरा नम्बर 116 है उक्त खसरा नम्बर 116 के उत्तरी हिस्से में ाल आराजी खसरा नम्बर 151 के मध्य एक रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है । खसरा नम्बर 151 के मध्य ाक जो रास्ता नक्शे में दर्शाया गया है ,उक्त रास्ते में रोडी कंक्रीट की डली हुई है, लेकिन आगे उक्त रास्ते के अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अतिक्रमण कर बन्द कर दिया गया है। उक्त अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध का उल्लेख पूर्व में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पारित किया गया है, प्रार्थी की भूमि हाल आराजी खसरा नम्बर 160 के आगे जो कि सिवायचक भूमि है, उक्त भूमि सामुदायिक भवन एवं पटवार घर सुराणा प्रस्तावित हो चुका है, जो कि खोरा रोड पर स्थित है । इस प्रकार प्रार्थी पैरा प्रार्थना में जो रास्ता चाहने हेतु प्रार्थना पत्र की वह केवल स्वयं के उपरोक्त के न होकर अपितु आम जनता सुराणा के लिये की है, क्योकि मुख्य सडक जो कि खोरालाडखानी जाती है, पर आने के लिये प्रार्थी एवं आम जनता सुराणा को 3 किलोमीटर लम्बा चक्कर लगाना पडता है, प्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान से उक्त रास्ता चाहने हेतु जो प्रार्थना पत्र पेश किया वह स्वयं को लाभ पहूँचाने के उददेश्य से न होकर अपितु ग्राम जनता सुराणा को लाभ पहूँचाने के उददेश्य से पेश किया है, हाल खसरा नम्बर 116 में जो कच्चा रास्ता बना हुआ है, उक्त रास्ता काफी वर्षो पुराना है उक्त रास्ते को उपयोग उपभोग ग्राम सुराणा की 4 ढाणीयों में रहने वाले काश्तकारों कई वर्षो से करते आ रहे है न्यायालय श्रीमान द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जाता है तो प्रार्थी व अन्य 4, 5 ढाणीयों के काश्तकारों को मुख्य सडक पर आने के लिये 3 किलोमीटर का चक्कर नही लगाना पडेगा जिससे काश्तकारों को सुविधाजन रहेगा। उक्त अतिरिक्त कथन

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

किये गये है उनके बारे में अप्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में पहले ऐसे कोई अभिवचन नही किये गये थे अपने अभिवचनों के बाहर जाकर लिखित बहस पेश की गई है जो किसी भी कदर रिलाईबल नही है लिखित बहस तथा आवेदन पत्र अपने आप में विरोधाभाषी है। अपने आवेदन पत्र में ग्राम पंचायत के प्रस्तावो के बारे में कोई वर्णन नही है तथा भूमि रास्ते हेतु न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 18.10.2017 के द्वारा प्रार्थी को नही दी गई तथा आम जनता के लाभ के लिये रास्ता मांगने का उददेश्य के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थना पत्र में कोई वर्णन नही किया गया होने से विचार योग्य नही है अन्यथा में भी आराजी खसरा नम्बर 116 अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें किसी प्रकार का कई वर्षो से कोई रास्ता नही था न ही वर्तमान में हैं, तथा ग्राम पंचायत को खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने कि विधि द्वारा कोई शक्ति प्रदान नही की गई है जो प्रस्ताव आदि पेश किये गये है वो प्रार्थी व अन्य ने मिलकर फर्जी कुटरचित तैयार किये है । ग्राम पंचायत को विधि के खिलाफ कार्यवाही प्रस्ताव लेने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। धारा 251 क के अन्तर्गत किसी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो वो अपनी सुविधा के अनुसार व नजदीकी रास्ते की मांग 251 क के अन्तर्गत प्राप्त नही कर सकता है तथा अन्य ग्रामीण व्यक्तियों की सुविधा के लिये भी धारा 251 क के तहत रास्ता उपलब्ध नही करवाया जा सकता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत, तथ्यों को छुपाकर रास्ता होते हुये नजदीकी रास्ता तथा ग्रामीणों के लिये रास्ता के उददेश्य से पेश किया गया होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) (1) राजस्थान अभिधृति संशोधन अधिनियम 2010 आर टी एक्ट में हाल खसरा नम्बर 160 रकबा 1.5500 हैक्ट. गैर मुमकिन बारानी वाकै ग्राम सुराणा पटवार हल्का छारसा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. में स्थित का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होना तथा अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग व उपभोग करता आ रहा होना तथा प्रार्थी की उपरोक्त भूमि से लगती हुई उत्तर से दक्षिण की तरफ स्थित हाल खसरा नम्बर 116/0.8900 बारानी गैर मुमकिन 0.0200 हैक्टर में से 3 मीटर चौडा व 80 मीटर लम्बाई का लम्बा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के लिये अत्यंत आवश्यक व अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना कथन कर अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि को प्रार्थी के नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने व अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में नक्शा ट्रेस में करवाए जाने बाबत कथन कर आवेदन पेश किया गया है जिस पर हमनें प्रार्थना पत्र के साथ पेश जमाबन्दी का अवलोकन किया तो उसमें प्रार्थी के अलावा अन्य खातेदार भी अंकित है तथा अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 18.10.2017 की प्रति पेश की जिसमें इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी है वो प्रार्थना पत्र सं. 10/2015 में प्रार्थी सं. 3 है जिसने इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर के साथ साथ अन्य खसरा नम्बर 201, 153, 159, 66/1318, 147 वाकै ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा में स्थित के बाबत धारा 251 क (1) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थी सं. 1 की भूमि खसरा नम्बर 150, 149 में से रास्ता दिये जाने का ओदश पारित किया गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण तथ्यो का उल्लेख नही कर अधुरे तथ्यों का उल्लेख किया गया है तथा प्रार्थी खसरा नम्बर 160 का तन्हा खातेदार हो ऐसा भी कोई दस्तावेजात पेश नही किया गया है तथा पूर्व निर्णय में प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि खसरा नम्बरान 160, 153, 159 में जाने हेतु खसरा नम्बर 161 से खोरालाडखानी मनोहरपुर रोड से होते हुये रास्ता उपलब्ध होना स्पष्ट अंकित है । अप्रार्थी की भूमि भी विभाजित होती है तथा खसरा नम्बर 125 गै. मु. रास्ता व खसरा नम्बर 116 के बीच में खसरा नम्बर 118 ओर आता है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने कोई रास्ता नही चाहा है । इस प्रकार प्रार्थीगण की इस प्रार्थना को न्यायालय ने स्वीकार नही किया। जहां इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 160 के लिये खसरा नम्बर 116 से रास्ता की मांग की गई है वो केवल अकेले प्रार्थी ने की है जबकि अन्य खातेदार भी इसमें हिस्सेदार है तथा प्रार्थी ने केवल स्वयं के लिये ही नही बल्कि रास्ता होकर आम जनता सुराणा के लिये मांग की गई है तथा वो भी मुख्य सडक जो खोरालाडखानी जाती है पर आने जाने के लिये प्रार्थी व आम जनता सुराणा को 3 किलोमीटर लम्बा चक्कर लगाना पडता है वो केवल प्रार्थी स्वयं को लाभ पहूँचाने के उद्देश्य से न होकर अपितु ग्राम जनता सुराणा को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से पेश किया गया है तो जहां तक धारा 251 क का सम्बन्ध है इसमें यह प्रावधित है कि रास्ते के लिये आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही हो और अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है। तो दोनो ही बाते प्रार्थी ने सिद्व नही की है क्योंकि प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी में पहुँच के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हो तो प्रार्थी ने स्वयं ने यह माना है कि उन्हे 3 किलोमीटर लम्बा चक्कर लगाना पडता है तो प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इसलिये सुविधा के लिये नजदीकी से रास्ता दिया जाना उचित नहीं हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) (1) राजस्थान अभिधृति संशोधन अधिनियम 2010 आर टी एक्ट अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/2/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर